

भारत के अलावा अन्य राजपत्र के भाग I खण्ड I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली दिनांक 24 अक्टूबर, 1996
2, कार्तिक 1918 शक

संकल्प

सं० 5/12/संस्था-111/93, सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल 1994 के समसंख्यक संकल्प में यथानिहित, पांचदे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के पैरा 2 खण्ड IV की पंक्ति में निम्न प्रकार से किंचित संशोधन किया जाए;

मौजूदा विषय

संशोधित विषय

पैरा 2 खण्ड IV

पैरा 2 खण्ड IV

संघ राज्य क्षेत्र के कार्मिक, और

अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के अलावा
संघ राज्य के कार्मिक, और

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

पांचदे

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए।

सी. रामचन्द्रन
सी. रामचन्द्रन
सचिव, भारत सरकार